

12/9/19

पञ्जावली पेश हुई वकील वादी  
उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी  
हेतु बाद वार हिदायत देने के

बावजूद वादी ने Regd.-Adv तलबी  
पेश नहीं किया है और गाँधी

रसीद डाक खाना पेश की है

न्यायालय के आदेश की

अवहेलना की जा रही है

अतः बाद वादी 09 R. 5 CPC

2017  
142




न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

..... बनाम .....

में आदम तकमील में खारिज किया  
जाता है पचावली फल्ल शुभार होकर  
नम्बर लेकम होकर, बाद तकमील  
इफ्तल दालिल है

  
सहायक कलक्टर  
अलवर (राज०)